उत्तर प्रदेश शासन
वित्त (लेखा) अनुभाग-2
सख्या-3/2018/ए-2-93 /दस-2018-जनरल(16)/2014
लखनऊ, दिनांक: 05 जुलाई, 2018

कार्यालय-ज्ञाप

वेतन समिति (2008) द्वारा राजकीय विभागों के लेखा परीक्षा संवर्ग के पदों के सम्बन्ध में दी गयी संस्तुतियों पर लिये गये निर्णय से सम्बन्धित शासनादेश संख्या-वे0आ0-2-1852/दस-54(एम)/2008 टी0सी0, दिनांक 10 अक्टूबर, 2011 के क्रम में श्री राज्यपाल महोदय वित्त विभाग के अन्तर्गत गठित वित्त आडिट प्रकोष्ठ (सिविल/रेवेन्यू) के लेखा परीक्षा संवर्ग में उपलब्ध लेखा परीक्षक के 01 पद तथा ज्येष्ठ लेखा परीक्षक के 02 पदों को इस शासनादेश के साथ संलग्न तालिका के अनुसार दिनांक 10-10-2011 से निम्नवत पुनर्गठित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :-

(1) लेखा परीक्षक के पदों पर भर्ती हेतु पूर्व निर्धारित अर्हता/व्यवस्था के स्थान पर इन पदों को अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने की व्यवस्था एवं भर्ती हेतु निम्न न्यूनतम अर्हता निर्धारित की जाती है:-

(क) स्नातक कामर्स या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन एकाउन्टेन्सी ।

(ख) कम्प्यूटर में ''ओ'' स्तर का डिप्लोमा।

(2) वरिष्ठ लेखा परीक्षक के पदों को 03 वर्ष की सेवा वाले लेखा परीक्षक के पदों से पदोन्नति कर भरा जाय।

(3) लेखा परीक्षक से वरिष्ठ लेखा परीक्षक के पदों पर पदोन्नति हेतु पूर्व निर्धारित विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने की शर्त को समाप्त किया जाता है।

(4) लेखा परीक्षक एवं वरिष्ठ लेखा परीक्षक के कुल पदों को 01:03 के अनुपात में रखा जाय।

(5) उपर्युक्त पुनर्गठन के फलस्वरूप लेखा परीक्षा संवर्ग के अनुलग्नक-1 के अनुसार वर्तमान में उपलब्ध पदो का ढॉचा अनुलग्नक-2 के अनुसार हो जायेगा।

2- उक्त संवर्ग के पदों पर चयन, नियुक्ति तथा स्थानान्तरण की कार्यवाही वित्त विभाग के आन्तरिक लेखा परीक्षा निदेशालय द्वारा सम्पादित किये जाने तथा चयनित अभ्यार्थियों का विभाग को आवश्यकतानुसार आवंटन किये जाने के आदेश अलग से निर्गत कराये जायेंगे।

3- उपर्युक्तानुसार पुनर्गठन के फलस्वरूप उच्चीकृत/संशोधित वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन में संबंधित कार्मिक का वेतन निर्धारण शासनादेश संख्या-वे0आ0-2-841/दस-59 (एम) /2008, दिनांक 24 दिसम्बर, 2009 तथा समय-समय पर तत्क्रम में निर्गत अन्य शासनादेशों की व्यवस्था के अनुसार किया जायेगा।

4- वित्त आडिट प्रकोष्ठ (सिविल तथा रेवेन्यू) के लेखा परीक्षा संवर्ग के पदों पर सेवा स्थानान्तरण के आधार पर कार्यरत पदधारकों पर इस शासनादेश की व्यवस्था लागू नहीं होगी तथा उक्त पदधारकों पर पैतृक विभाग द्वारा की गयी व्यवस्था लागू होगी।

5- यह आदेश वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-1 के अशासकीय संख्या-वे0आ0-1-216/दस-2018, दिनांक 22 जून, 2018 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

संलग्नक: यथोपरि।

पंकज सक्सेना
विशेष सचिव।

-2-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या- 3 /2018/ए-2-93 (1)/दस-2018-जनरल (16)/2014, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखति को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।
(2) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन,लखनऊ ।
(3) वित्त (सेवायें) अनुभाग-4 (लेखा प्रकोष्ठ) उत्तर प्रदेश सचिवालय।
(4) वित्त (वेतन-आयोग) अनुभाग-1/2 ।
(5) निदेशक, आंतरिक लेखा एवं लेखा परीक्षा, उ0प्र0 पदेन निदेशक, उ0प्र0 राज्य लाटरी निदेशालय, कैलाशकुंज, फैजाबाद रोड, लखनऊ ।
(6) निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0, इलाहाबाद।
(7) निदेशक, उद्योग निदेशालय, उ0प्र0, कानपुर।
(8) कार्यालय अधीक्षक वित्त आडिट प्रकोष्ठ (सि0/रे)।
(9) अधिष्ठान/गार्ड फाईल हेतु।

आज्ञा से,
पंकज सक्सेना
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

शासनादेश संख्या–3/2018/ए-2-93/दस-2018-जनरल(16)/2014 ,दिनांक 05 जुलाई, 2018 का संलग्नक।

अनुलग्नक-1

क्रम सं0	पदनाम	वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन	पदों की संख्या	भर्ती की विधि/अर्हता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	लेखा परीक्षक	वेतन बैण्ड-1 रू0 5200-20200 एवं ग्रेडवेतन रू0 2400	01	वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के पत्र संख्या-ए-2-222/दस-2010-7 (2)/2007, दिनांक 03 मार्च, 2010 द्वारा प्रख्यापित वित्त लेखा परीक्षा प्रकोष्ठ कर्मचारी (समूह-'ग' और समूह 'घ') सेवा नियमावली 2010 के अनुसार ।
2	ज्येष्ठ लेखा परीक्षक	वेतन बैण्ड-1 रू0 9300-34800 एवं ग्रेडवेतन रू0 4200	02	

अनुलग्नक-2

क्रम सं0	पदनाम	वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन	पदों की संख्या	भर्ती की विधि/अर्हता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	लेखा परीक्षक	वेतन बैण्ड-1 रू0 5200-20200 एवं ग्रेडवेतन रू0 2800	01	सीधी भर्ती द्वारा-अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से। अर्हता- (1) स्नातक कामर्स या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन एकाउन्टेन्सी। (2) कम्प्यूटर में ''ओ'' स्तर का डिप्लोमा।
2	वरिष्ठ लेखा परीक्षक	वेतन बैण्ड-2 रू0 9300-34800 एवं ग्रेडवेतन रू0 4200	02	03 वर्ष की सेवा वाले लेखा परीक्षक के पदधारकों में से शत-प्रतिशत पदोन्नति द्वारा।

पंकज सक्सेना
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।